भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 01B/2018-19

विनोदिनी देवी **बनाम** सुधा कुमारी महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

7-18

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 778 दिनांक 23.05.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 01B/2018–19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता विनोदिनी देवी पति स्व0 सुभाष चन्द्र महतो, ग्राम–मानिकबाजार, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावां ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता सुधा कुमारी महतो, पति श्री मांगीलाल महतो, ग्राम–डोरो, थाना–कुचाई, जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
मानिकबाजार	286	086	515	0.07ए0
			516	0.10ए0
				0.17ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के ससुर के नाम से दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहती है। बिक्रेता के पास 2.62 एकड़ भूमि है, जिसमें से 0.17 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.45 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.17एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

02/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।